जिला कलैक्टर 79/14
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 79/2014 जेठमल पुत्र स्व0 किशनलाल माली जाति माली निवासी हाल वार्ड न0 9 पुराने रेलवे स्टेशन के पास, राजलदेसर तहसील रतनगढ बनाम 1–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना 2–धनीदेवी पत्नि किशनलाल जाति माली निवासी मार्फत एन.आर.मेडिकल स्टोर, पशु होस्पिटल के सामने, गोगा गेट बीकानेर 3–संतोष उर्फ मुन्नी 4–ओमप्रकाश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.05.2015

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री महेन्द्रपाल गुप्ता उपस्थित है। अप्रार्थीगण धनीदेवी–सन्तोष उर्फ मुन्नी के अभिभाषक श्री तेजा सिंह उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 09.12.2014 को एक मुन्तकिली प्रा0 पत्र इस न्यायालय में इस आश्य का पेश किया कि उपखण्ड अधिकारी घड़साना के न्यायालय में लंबित वाद सं0 148/2014 अनवानी जेठमल बनाम धनीदेवी धारा 53, 88, 188 आरटीए एवं विविध प्रा0 पत्र 212 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया है और प्रार्थी जेठमल द्वारा ही उक्त प्रकरण में पारित आदेश 05.12.14 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में एक रिवीजन संख्या 7029/2014 जेठमल बनाम धनीदेवी पेश की। जो निर्णय दिनांक 23.03.2015 द्वारा स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी घड़साना को दो माह में निर्णय करने के आदेश दिये गये है। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा उक्त विचाराधीन वाद में 2 माह में निस्तारण करने के उपखण्ड अधिकारी घड़साना को निर्देश दिये गये है। अगर उक्त प्रकरण को अन्यत्र मुन्तकिल किया जाता है तो माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की अवहेलना होगी। इसलिए उच्च सक्षम न्यायालय के आदेशो के बाद इस न्यायालय को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष लंबित वाद को मुन्तकिल करने की कार्यवाही से माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की अवमानना होगी। इसलिए प्रा0 पत्र खारिज किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी घड़साना पर अप्रार्थीगण सं0 2 ता 4 का राजनैतिक दबाब है। इसलिए उन्हे निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा। अतः उक्त वाद अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए मुन्तकिल किया जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण ने दिनांक 09.12.2014 को एक मुन्तकिली प्रा0 पत्र इस न्यायालय में इस आश्य का पेश किया कि उपखण्ड अधिकारी घड़साना के न्यायालय में लंबित वाद सं0 148/2014 अनवानी जेठमल बनाम धनीदेवी धारा 53, 88, 188 आरटीए एवं विविध प्रा0 पत्र 212 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया है और प्रार्थी जेठमल द्वारा ही उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश 05.12.14 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में एक रिवीजन संख्या 7029/2014 जेठमल बनाम धनीदेवी पेश की जो निर्णय दिनांक 23.03.2015 द्वारा स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी घड़साना को दो माह में प्रकरण का निर्णय करने के आदेश दिये गये है। अगर उक्त प्रकरण को अन्यत्र मुन्तकिल किया जाता है तो माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की अवहेलना होगी। इसलिए राजस्व मण्डल के आदेश के अनुसार ही उपखण्ड अधिकारी घड़साना को उक्त प्रकरणो में कार्यवाही करनी चाहिए। माननीय राजस्व मण्डल के उक्त आदेश के पश्चात इस न्यायालय को उपखण्ड अधिकारी घड़साना के समक्ष लंबित उक्त प्रकरणो को अन्यत्र मुन्तकिल करने की अधिकारिता नही रहती है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण का यह मुन्तकिली मुकदमा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी घड़साना को आदेश दिया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा रिवीजन संख्या 7029/2014 जेठमल बनाम धनीदेवी मे पारित निर्णय दिनांक 23.03.2015 में दिये गये निर्देशो के अनुसार अवधि का ध्यान रखते हुए प्रकरण में नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.05.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर